





श्री शिवराज सिंह जी चौहान
मान. मुख्यमंत्री (मध्यप्रदेश)

विज्ञापन क्र.187

दिनांक : 25.08.2023

इन्दौर विकास प्राधिकारी की योजना क्र. 78 द्वितीय (आक्सिडेशन पॉण्ड) में पी.एस.पी. उपयोग के भूखण्ड को भू-स्वामी अधिकार पर न्यूनतम दर के बराबर या अधिक दर पर व्ययन करने हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

अ. क्र.	ई-टेण्डर पोर्टल क्रमांक	संपत्ति का विवरण	आरक्षित श्रेणी	क्षेत्रफल (व. मी.)	न्यूनतम दर (प्रति व. मी.)	अर्नेस्ट मनी (रु. लाख में)
1	2023_DTCP_302028_1	4-बी	अ.ज.जा	752.25	85000	63.94
2	2023_DTCP_302030_1	4-सी	अ.ज.जा	752.25	85000	63.94
3	2023_DTCP_302033_1	9-मेजर रोड कार्नर	सामान्य	2903.45	100000	290.00



ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की तिथियाँ

लोकेशन हेतु स्कैन करे

अ.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	निविदा प्रपत्र क्रय करने की आरंभ दिनांक एवं समय	31.08.2023	14:00 hrs.
2	निविदा प्रपत्र क्रय करने एवं भरने की अंतिम दिनांक एवं समय	27.09.2023	17:30 hrs.
3	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र खोलने एवं जाँचने का दिनांक एवं समय	03.10.2023	11:30 hrs

नोट :-

- निविदा ई-प्रोक्चोरमेंट पद्धति से पोर्टल <https://www.mptenders.gov.in> पर देखी एवं ऑनलाईन क्रय की जा सकती है। ई-टेण्डर हेल्प डेस्क का टेल फ्री नंबर 01204001002 है।
- निविदा में भाग लेने हेतु निविदा प्रस्तुतकर्ता अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति) राशि का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकेगा।
- निविदादाता को अपने निविदा ऑफर (दर) ऑनलाईन देना होगा। सभी डाक्यूमेंट्स ऑनलाईन अपलोड करना होंगे। निविदादाता को पंजीयन राशि रसीद, पेन नंबर, निविदा प्रपत्र, निविदा की शर्तें आदि की प्रति स्कैनिंग करके ऑनलाईन अपलोड करना होगा।
- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किया जायेगा, जिसे पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
- सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि (अमानत राशि सहित) आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा कराना होगी एवं शेष प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि आगामी 3 माह की अवधि में अर्थात् आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 4 माह की अवधि में जमा कराना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर व्ययन नियम, 2018 के नियम 12 अनुसार सम्पत्ति की निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।
- प्राधिकरण को निविदा स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

FAR-1.0

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में मार्केटिंग सेल में मो. 9893699113 पर संपर्क करें।

प्राधिकारी की वेबसाइट www.idaindore.org पर देख सकते हैं।